सुधार परिपत्र सं.14

Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

फाइल सं.सी/23/2011-एमपीलैड्स

Dated 10.01.2012

सेवा में,

आयुक्त, नगर निगम कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली
सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय: मौजूदा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में संशोधन— न्यासों/ संस्थाओं को अंशदान ।

महोदय/महोदया,

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 15.06.2011 के समसंख्यक पत्र द्वारा जारी सुधार परिपत्र सं.3 का संदर्भ लें ।

2. न्यासों/संस्थाओं के संबंध में दिशानिर्देशों के पैरा 3.21 से संबंधित परिपत्र के पैरा (IV) के संदर्भ में कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिसमें यह बताने का आग्रह किया गया है कि न्यासों/संस्थाओं को कार्यों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रूपए की सीमा किस तारीख से लागू होगी । मामले की फिर से जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि सांसदों द्वारा न्यासों/संस्थाओं को एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रूपए तक के कार्यों की अनुशंसा करने की सीमा लागू करने वाले दिनांक 15.6.2011 के उपरोक्त सुधार परिपत्र संख्या 3 के द्वारा किए गए संशोधन को वित्तीय वर्ष 2011-12 से लागू किया जाएगा । माननीय सांसदों द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से पहले की गई सिफारिशों को 15.6.2011 को जारी परिपत्र से पहले मौजूद दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा । दिनांक 15.6.2011 के इस सुधार परिपत्र को जारी करने के बाद की गई सिफारिशों, भले ही वे पिछले वर्ष के संबंध में हों, को दिनांक 15.6.2011 के परिपत्र के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

3. एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए ।

4. इसे माननीय मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(मिनी प्रसन्ना कुमार)
उप-निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव, (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
5. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी संबंधित अधिकारी
6. एनआईसी: एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।